बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक– NHM/BHDS/119/2024 (Part-1) - पी०पी०एम०- 175- /कृ०, पटना, दिनांक- 16.12.2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय : **चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत् उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु ''क्लस्टर में बागवानी की योजना–II'' वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 में कुल दो वर्षों के लिये कुल 1350.00 लाख (तेरह करोड़ पचास लाख) रूपये की स्वीकृति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्वीकृत 367.50 लाख (तीन करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार) रूपये के अधीन 197.722 (एक करोड़ संत्तानवे लाख बहत्तर हजार दो सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत् उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु ''क्लस्टर में बागवानी की योजना–II'' वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 में कुल दो वर्षों के लिये कुल 1350.00 लाख (तेरह करोड़ पचास लाख) रूपये की स्वीकृति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्वीकृत 367.50 लाख (तीन करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार) रूपये के अधीन 197.722 (एक करोड़ संत्तानवे लाख बहत्तर हजार दो सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/119/2024 (Part-1)-पी०पी०एम०–102 दिनांक–08.08.2024 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत् उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु ''क्लस्टर में बागवानी की योजना–II'' वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 में कुल दो वर्षों के लिये कुल 1350.00 लाख (तेरह करोड़ पचास लाख) रूपये की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 में 877.50 लाख रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। शुद्धि पत्र संख्या NHM/BHDS/119/2024 (Part-1) - पी०पी०एम०–152 दिनांक–18.11.2024 द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में संशोधन किया गया है। उक्त स्वीकृत्यादेश एवं शुद्धि पत्र द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत 472.50 लाख (चार करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार) रूपये के अधीन 197.722 (एक करोड़ संत्तानवे लाख बहत्तर हजार दो सौ) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 975.00 हे0 के विरूद्ध कुल 564.92 हे0 की उपलब्धि प्राप्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 564.92 हे0 के लिए ही आवश्यक राशि 197.722 (एक करोड़ संत्तानवे लाख बहत्तर हजार दो सौ) रूपये की स्वीकृति दी जा रही है। फसलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

4. वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त भौतिक उपलब्धि के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना का कार्यान्वयन अनुसूची–2 के अनुसार राज्य के 19 जिलों यथा– औरंगाबाद, पटना, रोहतास, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बक्सर, अररिया, बेगुसराय, गोपालगंज, पटना, समस्तीपुर, सुपौल, पूर्वी चम्पारण, बांका, सिवान, पश्चिम चम्पारण, गया, कटिहार एवं जमुई में किया जाएगा। संबंधित जिला के लिये फसल का चयन राज्यस्तरीय समिति के माध्यम से किया गया है एवं क्लस्टर हेतु गांव का चयन संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

5. इस योजनान्तर्गत क्लस्टर निर्माण हेतु चयनित फसल यथा– अमरूद, नींबू, लेमनग्रास एवं पपीता के लिए अधिकतम अनुदान की राशि एक लाख रूपये प्रति एकड़ होगी जिसमें पौध सामग्री सम्मिलित है। इकाई लागत पर देय अनुदान की राशि में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद एवं पोषक तत्व, कीटनाशी, सिचाईं एवं घेराबंदी इत्यादि के साथ–साथ प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक लाभ नहीं होने के फलस्वरूप सहयोग हेतु राशि भी समाहित है। इस योजना से लाभान्वित कृषक को कृषि विभाग के अन्य संचालित योजनाओं यथा– सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, परिवहन के लिए वाहन, संग्रहण, सॉर्टिंग एवं ग्रेडिंग की सुविधा, पैकेजिंग की सुविधा का लाभ नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा।

6. योजना अन्तर्गत लाभुक को द्वितीय किस्त का भुगतान किया जायेगा। वैसे क्लस्टर ही भुगतान हेतु मान्य है, जिनका क्लस्टर का रकबा 20 एकड़ या उससे अधिक है तथा पौधों की उत्तरजीविता 75 प्रतिशत से अधिक है। द्वितीय किस्त (कुल इकाई लागत का 35 प्रतिशत) की राशि 75 प्रतिशत पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र सत्यापन पश्चात् नियमानुसार दिया जायेगा।

7. संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा योजना का Geo-tagging एवं योजना संबंधित आँकड़ों का संधारण किया जायेगा।

8. इस योजना का कार्यान्वयन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या NHM/BHDS/119/2024-PPM-25 दिनांक–15.03.2024 द्वारा स्वीकृत क्लस्टर में बागवानी की योजना के निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

9. इस योजना के कार्यान्वयन से 9038 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

10. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC-25 पर CFMS-2.0 के माध्यम से किया जायेगा।

11. प्रावधानित बजट के आलोक में सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 78.537 प्रतिशत, 20.00 प्रतिशत एवं 1.463 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

12. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/119/2024 (Part-1)-पी०पी०एम०–102 दिनांक–08.08.2024 तथा शुद्धि पत्र संख्या NHM/BHDS/119/2024 (Part-1) -पी०पी०एम०–152 दिनांक–18.11.2024 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

13. महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

14. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

15. योजना के लिए वितीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी	19084.490	155.28497
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी	4860.000	39.54440
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी	355.510	2.89263
कुल	**24300.000**	**197.72200**

16. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना के कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय संबंधित प्रस्ताव सहित स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/119/2024 (Part-1) के पृ0सं0–109/टि0 पर दिनांक–12.12.2025 को प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–NHM/BHDS/119/2024 (Part-1) के पृष्ठ संख्या–108/टि० पर दिनांक–19.11.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–865 दिनांक–19.11.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/119/2024 (Part-1) -भा०भा०ल०-175-/कृ०, पटना, दिनांक 16/12/2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/119/2024 (Part-1) -भा०भा०ल०-175-/कृ०, पटना, दिनांक 16/12/2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/119/2024 (Part-1)-पी०पी०एम०-175-/कृ०, पटना, दिनांक 16/12/2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/119/2024 (Part-1)-पी०पी०एम०-175-/कृ०, पटना, दिनांक 16/12/2025

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/119/2024 (Part-1)-पी०पी०एम०-175-/कृ०, पटना, दिनांक 16/12/2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित संयुक्त निदेशक उद्यान/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/119/2024 (Part-1)-पी०पी०एम०-175-/कृ०, पटना, दिनांक 16/12/2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना एवं जनसम्पर्क, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई—मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची – 1

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु क्लस्टर में बागवानी की योजना–II का वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 तक कुल दो वर्षों की स्वीकृत योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 की कार्य योजना।

(राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	फसल का नाम	भौतिक लक्ष्य		अनुदान दर प्रति एकड़ (वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु)	वित्तीय लक्ष्य
		क्लस्टर की संख्या	कुल रकवा (एकड़)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	अमरूद	8	194.64	0.35	68.124
2	नींबू	8	199.64	0.35	69.874
3	लेमनग्रास	2	49.50	0.35	17.325
4	पपीता	5	121.14	0.35	42.399
कुल योग		**23**	**564.920**		**197.722**

उपेन्द्र कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना

अनुसूची – 2

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु क्लस्टर में बागवानी की योजना–II का वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 तक कुल दो वर्षों की स्वीकृत योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख रूपये में)

क्र०सं०	जिला का नाम	क्लस्टर का फसल	भौतिक लक्ष्य			अनुदान दर प्रति एकड़ (वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु)	वित्तीय लक्ष्य
			क्लस्टर की संख्या	एकड़ प्रति क्लस्टर	कुल रकवा (एकड़)		
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, **औरंगाबाद**	**अमरुद**	1	25	25	0.35	8.750
			1	25	25	0.35	8.750
			1	25	25	0.35	8.750
		नींबू	1	24.64	24.64	0.35	8.624
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, **रोहतास**	**अमरुद**	1	25	25	0.35	8.750
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, **मुजफ्फरपुर**	**अमरुद**	1	24.64	24.64	0.35	8.624
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, **पटना**	**अमरुद**	1	25	25	0.35	8.750
		पपीता	1	25	25	0.35	8.750
5	जिला उद्यान पदाधिकारी, **गया**	**अमरुद**	1	25	25	0.35	8.750
6	जिला उद्यान पदाधिकारी, **कटिहार**	**अमरुद**	1	20	20	0.35	7.000
7	जिला उद्यान पदाधिकारी, **अररिया**	**नींबू**	1	25	25	0.35	8.750
8	जिला उद्यान पदाधिकारी, **बेगुसराय**	**नींबू**	1	25	25	0.35	8.750
9	जिला उद्यान पदाधिकारी, **गोपालगंज**	**नींबू**	1	25	25	0.35	8.750
10	जिला उद्यान पदाधिकारी, **बांका**	**नींबू**	1	25	25	0.35	8.750
11	जिला उद्यान पदाधिकारी, **सुपौल**	**नींबू**	1	25	25	0.35	8.750
12	जिला उद्यान पदाधिकारी, **पश्चिम चंपारण**	**नींबू**	1	25	25	0.35	8.750
13	जिला उद्यान पदाधिकारी, **जमुई**	**नींबू**	1	25	25	0.35	8.750
14	जिला उद्यान पदाधिकारी, **खगड़िया**	**पपीता**	1	25	25	0.35	8.750
15	जिला उद्यान पदाधिकारी, **बक्सर**	**पपीता**	1	25	25	0.35	8.750
16	जिला उद्यान पदाधिकारी, **समस्तीपुर**	**पपीता**	1	24.5	24.5	0.35	8.575
17	जिला उद्यान पदाधिकारी, **पूर्वी चंपारण**	**पपीता**	1	21.64	21.64	0.35	7.574
18	जिला उद्यान पदाधिकारी, **पूर्वी चंपारण**	**लेमनग्रास**	1	24.5	24.5	0.35	8.575
19	जिला उद्यान पदाधिकारी, **सिवान**	**लेमनग्रास**	1	25	25	0.35	8.750
योग			**23**		**564.92**		**197.722**

उपेन्द्र कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना

अनुसूची – 3

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु क्लस्टर में बागवानी की योजना–II का वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 तक कुल दो वर्षों की स्वीकृत योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 का जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख रूपये

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	क्लस्टर का फसल	वित्तीय लक्ष्य			
			सामान्य श्रेणी @78.537%	अनुसूचित जाति @20%	अनुसूचित जनजाति @1.463%	कुल योग
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद	अमरुद	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
			6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
			6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
		नींबू	6.77303	1.72480	0.12617	8.6240
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास	अमरुद	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	अमरुद	6.77303	1.72480	0.12617	8.6240
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना	अमरुद	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
		पपीता	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
5	जिला उद्यान पदाधिकारी, गया	अमरुद	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
6	जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार	अमरुद	5.49759	1.40000	0.10241	7.0000
7	जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया	नींबू	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
8	जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगुसराय	नींबू	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
9	जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज	नींबू	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
10	जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल	नींबू	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
11	जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका	नींबू	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
12	जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण	नींबू	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
13	जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई	नींबू	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
14	जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया	पपीता	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
15	जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर	पपीता	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
16	जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर	पपीता	6.73455	1.71500	0.12545	8.5750
17	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण	पपीता	5.94839	1.51480	0.11081	7.5740
18	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण	लेमनग्रास	6.73455	1.71500	0.12545	8.5750
19	जिला उद्यान पदाधिकारी, सिवान	लेमनग्रास	6.87199	1.75000	0.12801	8.7500
योग			**155.28497**	**39.54440**	**2.89263**	**197.7220**

उपेन्द्र कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना